न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/8254/2006/पाली

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली।
....अपीलार्थी

बनाम

श्रीमति प्रताप कुमारी पुत्र श्री शेरसिंह (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
1– श्रीमति गजेन्द्र कुमारी पुत्री श्री बुद्धसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बलुन्दा तहसील जैतारण जिला पाली।
....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से।

––

निर्णय

दिनांकः 24–06–19

यह अपील धारा 23 (2ए) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम जोतत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर (सीलिंग) पाली द्वारा सीलिंग प्रकरण सं0 187/2006 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 13–10–2006 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी) जैतारण ने प्रत्यर्थी खातेदार के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रकरण सं0 10!70 (पुराना कानून) को निर्णित करते हुए अपने आदेश दिनांक 30–03–1971 द्वारा प्रत्यर्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुए सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश पारित किया। तत्पश्चात् राज्य सरकार ने उपखण्ड अधिकारी जैतारण के निर्णय दिनांक 30–03–1971 को राज्यहित के विपरीत मानते हुए धारा 15 (2) सीलिंग अधिनियम 1973 के तहत प्रकरण को पुनः रिओपन करने का आदेश दिनांक 26–06–81 को

पारित करते हुए प्रकरण को अति0 कलक्टर (सीलिंग) को स्थानांतरित किया गया। बाद सुनवाई अति0 कलक्टर (सीलिंग) पाली ने अपना निर्णय 21-04-95 प्रदान किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर प्रत्यर्थी ने अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की, जिसे मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 04-12-9 द्वारा अपील को स्वीकार करआक्षेपित निर्णय 21-04-95 को निरस्त कर प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषित किया। प्रकरण प्राप्त होमने पर अति0 कलक्टर (सीलिंग) ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया। बाद सुनवाई अति0 कलक्टर (सीलिंग) पाली ने अपने निर्णय दिनांक 13-10-2006 द्वारा प्रत्यर्थी के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानते हुए सीलिंग प्रकरण को समाप्त करने का आदेश प्रदान किया। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

3- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने इस पर पर गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही चली थी एवं उस कार्यवाहही में उसके पास अनियमित रूप से सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने उक्त आदेश को रिओपन करने का आदेश दिया, इस कारण अति0 कलक्टर को राज्य सरकार द्वारा प्रकरण रिओपन करने के आदेश दिए गए, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उक्त में दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्यवाही करनी चाहिए थी किन्तु उन्होंने राज्य सरकार द्वारा दिए गए रिओपन आदेश को नजरअंदाज कर अपना निर्णय पारित किया। उनका यह भी तर्क था कि उन्होंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही कर उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण उससे 41 बीघा 14 बिस्वा आराजी को अधिग्रहण करने का जो आदेश दिनांक 31-12-75 को प्रदान किया गया, उससे यह नहीं माना जा सकता कि उसके पास पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत सीलिंग सीमा से अधिक आराजी नहीं थी। उनका यह भी तर्क था कि अति0 कलेक्टर का आदेश पुराने सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में

पारित किया गया व उन्होंने अपना आदेश पारित करते समय यह विवेचन नहीं किया कि प्रत्यर्थी निर्धारित तिथि 01–04–66 को कितनी भूमि धारित करती थी एवं उसके परिवार में कौन कौन सदस्य थे तथा इस बात भी जाँच नहीं की कि प्रत्यर्थी ने हस्तातंरण किए, वे दिनांक 25–02–58 से दिनांक 31–12–69 के मध्य किए गए। इस कारण इन हस्तातंरण की वैधता धारा 30 डी एवं धारा 30 डीडी के प्रावधानों के अनुसार जाँच की जानी चाहिए थी किन्तु उन्होंने इस हस्तातंरण के बारे में कोई विवेचना नहीं की। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए अपना निर्णय प्रदान किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि 1973 के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का निर्धारण होने जाने के बाद कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2015 (2) डीएनजे (राज0) पेज 754 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने 2012 आर0आर0डी0 पेज 47, 2003 (1) डीएनजे (एससी) पेज 17 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए तथा अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी/असेसी के विरूद्ध राज्य सरकार के रिओपनिंग आदेश के क्रम में कार्यवाही इस आधार पर चलने योग्य नहीं मानी गई है कि जब असेसी के विरूद्ध नये सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर 41 बीघा 14 बिस्वा भूमि सरप्लस घोषित की जा चुकी है तो उसके विरूद्ध पुरानी सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। उप राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत पारित

निर्णय में सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों को सही रूप से नहीं देखा गया था। हम उप राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत दिनांक 30-30-71 को कार्यवाही समाप्त की जा चुकी थी तत्पश्चात् नया सीलिंग अधिनियम प्रभाव में आने के पश्चात् असेसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर निर्णय दिनांक 18-10-75 द्वारा सरप्लस भूमि की घोषणा की गई थी, ऐसी स्थिति में जब राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 में पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत रिओपनिग का आदेश दिया गया तो वह विधिक नहीं था, क्योंकि 1975 में पारित निर्णय अंतिम हो चुका था और पुराने सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना विधिक स्थिति के अनुरूप नहीं था। हमारे समक्ष प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2003 (1) डी0एन0जे0 (एससी) पेज 17 में प्रतिपादित सिद्धांत से भी इस स्थिति की पुष्टि होती है।

8- उपरोक्त विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। फलस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य